अध्याय VI
शुल्क का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण

केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमवाली 2002 के नियम 4 में निर्धारित किया गया है कि जिस माल पर उत्पाद शुल्क लगता है, उसे नियम 8 में निर्धारित तरीके में उन पर उदग्राह्य उत्पाद शुल्क अदा किए जाने तक विनिर्माण स्थल अथवा गोदाम से नहीं हटाया जाएगा। यदि कोई विनिर्माता, उत्पादक अथवा गोदाम का पंजीकृत व्यक्ति नियमावली का उल्लघंन करता है अथवा माल को खाते में नहीं लेता तो नियम 25 के अन्तर्गत ऐसे माल की जब्ती के लिए दायी होने के अलावा ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल पर उत्पाद शुल्क से अनाधिक या दस हजार जो भी अधिक हो, तक की शास्ति उदग्राह्य है। नमूना जाँच में देखे गए कुल ₹1.04 करोड़ के शुल्क के अनुदग्रहण/कम उदग्रहण के कुछ मामालों का वर्णन आगामी पैराग्राफों में किया गया है। मंत्रालय को इन आपत्तियों की सूचना तीन मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ के माध्यम से दी गई ।

6.1 शुल्क का भुगतान न होना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 4 में अनुबन्ध किया गया है कि उत्पाद शुल्क योग्य किसी माल जिन पर कोई उत्पाद शुल्क देय है, को किसी स्थान जहाँ उनका उत्पादन किया गया हो अथवा निर्माण किया गया हो, से अथवा गोदाम से शुल्क की उगाही किए बिना नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि अधिनियम/नियमावली में अन्यथा प्रावधान न किया हो।

एलुमिनियम धातु मल एवं झाग एलुमिनियम वेल्लित उत्पादों के विनिर्माण के उपोत्पाद हैं और व्यापक रूप से भारत में बेचे जाते हैं और एलुमिनियम धातु मल से एलुमिनियम की प्रति प्राप्ति 84 प्रतिशत तक पहुँचती है। शुल्क-सूची में एलुमिनियम धातु मल की उपयुक्त और पृथक प्रविष्टि की मांग के लिए 28 फरवरी 2005 तक यह माल उत्पाद शुल्क के अधीन नहीं था। 28 फरवरी 2005 को सरकार ने इसको उस दिन से उत्पाद शुल्क के अधीन करते हुए अध्याय 26 में शुल्क-सूची मद 262040.10 के अन्तर्गत "एलुमिनियम मलधातु" की एक पृथक और निश्चित प्रविष्टि शामिल की।

फ्लेट एलुमिनियम वेल्लित उत्पादो के विनिर्माण में लगे नागपुर आयुक्तालय में मै. हिण्डल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने निर्माण प्रक्रिया के दौरान एलुमिनियम धातु मल प्राप्त किया और विभिन्न खरीदारों को विभिन्न कीमतों पर इसकी निकासी की। तथापि एल्युमिनियम धातुमल पर उदग्रणीय ₹ 30.98 लाख के उत्पाद शुल्क का 28 फरवरी 2005 से भुगतान नहीं किया।

जब हमने इसका ध्यान दिलाया (जून 2009), तो विभाग ने बताया (फरवरी 2010) कि मै. इण्डियन एलुमिनियम कं. लिमिटेड { 2006(205)ईएलटी 3 (एससी) } के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की शर्तों के अनुसार माल पर उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए , इसे निर्मित और विक्रेय होना चाहिए जबकि धातु मल न तो निर्धारिती द्वारा निर्मित किया गया और न ही यह उत्पाद शुल्क योग्य था। इसके अतिरिक्त बताया

गया कि सेसटाट मुम्बई ने भी 26 मार्च 2008 के आदेश सं. ए/353/09/सी-1 के अनुसार यह माना था कि धातु मल उत्पाद शुल्क योग्य नहीं है।

विभाग का उत्तर बोर्ड के समरूप नहीं है जिसने स्पष्ट किया तथा 28 अक्तूबर 2009 को क्षेत्रीय इकाईयों को एल्यूमिनियम मल पर उत्पाद शुल्क की वसूली के निदेश दिए।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)

सिफारिश की जाती है कि बोर्ड की न्यायिक उदघोषणा को ध्यान में रखकर विषय की जाँच करनी चाहिए और एलुमिनियम धातुमल के व्यवहार के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए।

6.2 देय तिथियों पर शुल्क का विलम्बित भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 8 में यह परिकल्पित है कि किसी माह के दौरान फैक्टरी से निकाले गए माल पर शुल्क अगले माह की 5 और मार्च माह के लिए मार्च की 31 तारीख तक अदा कर दिया जाएगा। यदि निर्धारिती देय तिथि तक शुल्क की राशि का भुगतान करने में विफल हो जाता हें, वह ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करने का पात्र होगा।

इसके अतिरिक्त, नियम 8 का उप नियम (3ए) प्रावधान करता है कि यदि निर्धारिती नियत तिथि से तीस दिनों के बाद शुल्क के भुगतान में चूक करता हे तो वह उस पर ब्याज सहित बकाया राशि के भुगतान की तिथि तक सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना पृथक्करण के समय पर प्रत्येक प्रेषण के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करेगा। नियम यह भी प्रावधान करता है कि विफल होने के मामले में यह माना जाएगा कि ऐसा माल शुल्क का भुगतान किए बिना निकाल लिया गया है और इन नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार परिणाम और शास्तियाँ लागू रहेंगी।

जयपुर I कमिश्नरी में, एसीपी पाइपस के विनिर्माण में लगे मै. एमआरके पाइपस लिमिटेड ने सितम्बर 2006 में निकाले गए माल के सम्बन्ध में 11 दिसम्बर 2006 को ₹ 3.34 लाख् के शुल्क का भुगतान किया। इसी प्रकार,नवम्बर एवं दिसम्बर 2006 में निकाले गए माल के सम्बन्ध में निर्धारिती ने 1 फरवरी 2007 को ₹ 3.29 लाख के शुल्क का भुगतान किया। सभी अवसरों पर विलम्ब नियत तिथियों से तीस दिनों के बाहर था। अतः निर्धारिती का नवम्बर 2006 से जनवरी 2007 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक प्रेषण पर शुल्क का नकद भुगतान करना अपेक्षित था। तथापि, निर्धारिती ने चूक के दोरान सिन्चेट लेखा से ₹ 19.07 लाख का भुगतान किया जो ब्याज सहित वसूली-योग्य था।

जब हमने इसका ध्यान दिलाया (जून 2009), विभाग ने बताया (मार्च 2010) कि प्रश्नगत राशि सिन्चेट क्रेडिट लेखे से निर्धारिती द्वारा पहले ही जमा की जा चुकी थी और सेसटाट निर्णय की शर्तों में मै. एससीटी लिमिटेड {2006 (202) ईएलटी 814(ट्राई-डेल)} के मामले में शुल्क का नकद भुगतान और सिन्चेट लेखे का क्रेडिट (गलत उपयोग को वापिस करना)अनावश्यक द्विगुणीकरण होगा।

विभाग द्वारा उद्धृत निर्णय 1 जून 2006 से पहले दिया जा चुका था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 2002 का नियम 8, 1 जून 2006 से संशोधित किया गया और नियम 8 के

संशोधित उप नियम 3ए के अनुसार बकाया राशि उस पर ब्याज के साथ-साथ वसूली-योग्य थी।

मंत्रालय से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

6.3 पुनः निर्माण के लिए निकाले गए माल पर शुल्क का भुगतान न किया जाना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 16 में यह परिकल्पित हे कि जहाँ किसी माल जिस पर माल हटाते समय शुल्क का भुगतान किया जा चुका था, को किसी फैक्टरी में पुनः निर्मित, परिष्कृत, मरम्मत होने के लिए अथवा किसी दूसरे कारण के लिए लाया जाता है, तो निर्धारिती अपने अभिलेखों में ऐसी प्राप्ति के विवरणों को बताएगा और सेनवेट क्रेडिट लेने का पात्र होगा। यदि प्रक्रिया जिसके विषय में माल को हटाया जाता है, निर्माण करने की श्रेणी में नहीं आती है तो विनिर्माता इसके लिए सेनवेट क्रेडिट के बराबर की राशि का भुगतान करेगा अन्यथा शुल्क जैसा उपयुक्त हो, माल हटाए जाते समय देय है।

नोयडा कमिश्नरी में, मुद्रित परिपथ पट्टों के विनिर्माण में लगे मै. आईएलजेआइएन इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ने अन्तिम माल पहले जिनकी निकासी की गई थी और अस्वीकृत माल की तरह क्रेताओं द्वारा वापस कर दिया गया था, पर अक्तूबर 2008 से फरवरी 2009 के दौरान ₹ 45.46 लाख का सिन्वेट क्रेडिट प्राप्त किया। यह माल आगे की प्रक्रिया के लिए वर्कसॉप भेज दिया गया। अभिलेख पर संकेत के अनुसार पुनः निर्माण के बाद यह माल न तो फैक्ट्री में वापस किया गया और न ही उनको शुल्क के भुगतान पर उन्हें पुनः बाहर भेजा गया। चूंकि निर्धारिती वापस किए गए माल का पता-ठिकाने का पता नही लगा सका, प्राप्त किए गए ₹ 45.46 लाख का क्रेडिट अस्वीकार्य था क्योंकि पुनः निर्माण/मरम्मत और शुल्क के भुगतान से निकासी की अगली कार्रवाई द्वारा अनुकरण नही किया गया था। चूंकि अन्तिम शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, क्रेडिट को ब्याज सहित वसूल किया जाना था।

अक्तूबर 2009/सितम्बर 2010 में हमने विभाग/मंत्रालय को इसका ध्यान दिलाया; उनसे उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2010)।